न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
110/2015	2015/347	08.06.2015	30.05.2022

उनवान प्रकरण

बृजेश कुमार पुत्र नाथूराम आयु 43 वर्ष, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम होल्या का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—वादी

बनाम्

1. रामदेव सिंह पुत्र नानूराम गीठाला आयु 52 वर्ष, जाति जाट
2. मनोज कुमार पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद आयु 22 वर्ष

   समस्त जाति जाट निवासीगण होल्या का बास, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
3. भैरूप्रसाद पुत्र गोपाल उर्फ गोपीराम आयु 60 वर्ष जाति ब्राह्मण
4. दुर्गाप्रसाद पुत्र गोपाल उर्फ गोपीराम आयु 58 वर्ष जाति ब्राह्मण
5. नागरमल पुत्र गोपाल उर्फ गोपीराम आयु 55 वर्ष जाति ब्राह्मण
6. मोहन लाल पुत्र गोपाल उर्फ गोपीराम आयु 50 वर्ष जाति ब्राह्मण
7. सागरमल पुत्र धन्नाराम आयु 55 वर्ष जाति ब्राह्मण
8. शंकरलाल पुत्र धन्नाराम आयु 53 वर्ष जाति ब्राह्मण
9. बनवारीलाल पुत्र धन्नाराम आयु 50 वर्ष जाति ब्राह्मण
10. हरलाल पुत्र चन्द्राराम आयु 47 वर्ष जाति जाट देवन्दा
11. सागरमल पुत्र चन्द्राराम आयु 40 वर्ष [illegible] देवन्दा
12. महेन्द्रसिंह पुत्र चन्द्राराम आयु 35 वर्ष जाति [illegible] देवन्दा
13. प्रभाती देवी पत्नि स्व. चन्द्राराम जाति जाट देवन्दा
14. संतरा देवी पुत्री स्व. चन्द्राराम जाति जाट देवन्दा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

30/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

15. संज्या देवी पुत्री स्व. चन्द्राराम जाति जाट देवन्दा आयु 30 वर्ष
16. संतोष देवी पुत्री स्व चन्द्राराम आयु 25 वर्ष जाति जाट देवन्दा
17. सावित्री देवी पुत्री स्व चन्द्राराम आयु 22 वर्ष जाति जाट देवन्दा
18. मुरलीधर पुत्र लादुराम आयु 40 वर्ष जाति जाट देवन्दा
19. सुरजी देवी पुत्री लादुराम आयु 42 वर्ष जाति जाट देवन्दा
20. मनभरी देवी पुत्री लादुराम आयु 35 वर्ष जाति जाट देवन्दा
21. पतासी देवी पत्नी लादुराम आयु 35 वर्ष जाति जाट देवन्दा
22. मोहन लाल आयु 35 वर्ष पुत्र घीसाराम जाति जाट देवन्दा
23. बिदामी देवी उम्र 45 पत्नि स्व. घीसाराम जाति जाट देवन्दा
24. कोमल देवी उम्र 45 वर्ष पुत्री घीसाराम जाति जाट देवन्दा
25. प्रेम देवी आयु 42 वर्ष पुत्री घीसाराम जाति जाट देवन्दा
26. किशनाराम आयु 60 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति जाट देवन्दा
27. भागुराम आयु 55 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति जाट देवन्दा
28. गोविन्दराम आयु 65 वर्ष पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण
29. बन्ना उर्फ बनवारी आयु 55 वर्ष पुत्र महादेव जाति मीणा
30. जगदीश आयु 50 वर्ष पुत्र महादेव जाति मीणा
31. मोहनी देवी आयु 67 वर्ष पत्नि सुरजमल जाति मीणा
32. ओमप्रकाश आयु 48 वर्ष पुत्र सुरजमल जाति मीणा
33. विनोद कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र सुरजमल जाति मीणा
34. पतासी देवी आयु 45 वर्ष पुत्री सुरजमल जाति मीणा
35. मेवा देवी आयु 42 वर्ष पुत्री सुरजमल जाति मीणा
36. विमला देवी आयु 42 वर्ष पुत्री सुरजमल जाति मीणा
37. गीता देवी आयु 50 वर्ष पत्नि स्व. ग्यारसी लाल जाति ब्राह्मण
38. ममता देवी आयु 35 वर्ष पत्नि स्व. [illegible] जाति ब्राह्मण
समस्त निवासीगण हो[illegible] श्रीमाधोपुर
39. पटवारी, पटवार हल्का [illegible] श्रीमाधोपुर
40. उप पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय श्रीमा[illegible]र सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

20/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

41. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार कार्यालय तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

उपस्थित:– ——प्रतिवादीगण

1. श्री गिरीराज शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक
2. श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 प्रतिवादी संख्या 10 व 22 अभिभाषक (अनुपस्थित)
3. श्री सुदेश सामोता, एड0 प्रतिवादी संख्या 11 से 13 अभिभाषक (अनुपस्थित)
4. श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 प्रतिवादी संख्या 8, 9, 29 ता 36

<u>दावा बाबत् तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1295, 1296, 1298 से 1301 कुल किता 6 कुल रकबा 9.33 हैक्टर तन् ग्राम होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसमें वादी का 1/16 हिस्सा है। भूमि खसरा नम्बर 1290 से 1292 कुल किता 3 कुल रकबा 8.82 हैक्टर तन् ग्राम होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित होकर वादी का 1/32 हिस्सा है। भूमि खसरा नम्बर 1297 रकबा 0.01 हैक्टर तन् ग्राम होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित होकर वादी का उक्त कुंए में 1/16 हिस्सा है। भूमि खसरा नम्बर 1321 से 1322 कुल किता 2 कुल रकबा 3.90 हैक्टर तन् ग्राम होल्याकाबास तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित होकर वादी का 1/16 हिस्सा है। उक्त भूमियॉ पूर्वकाल से वादी व उसके पिता के नाम उक्त वर्णित हिस्से अनुसार खातेदारी में दर्ज चली आ रही है व मौके पर [illegible] जो वर्तमान में अलग–अलग हिस्सों के खातेदार दर्ज है। अपने–अपने हिस्से अनुसार [illegible] भूमियों को बांट–छांट कर पूर्णत: विभाजित अवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से [illegible] व अनन्य सुस्थापित हक अनुसार काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण में से प्रतिवादीगण [illegible] 1 व 21 एंव 10 से 27 व 29 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

20/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

36 उक्त भूमियों को विभिन्न हिस्सेदारों से मौके पर मौजूद उनकी विभाजित भूमियों को खरीदकर खातेदारी में अंकित हुये है। उक्त वर्णित भूमियों में दर्ज स्वंय की खातेदारी के हक हिस्से अनुसार अपने पिता के समय से खसरा नम्बर 1296 रकबा 1.34 हैक्टर पर पूर्णरूपेण विभाजित अवस्था में काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 1296 मौके पर उत्तर–दक्षिण व पश्चिमी तरफ डोल लगी हुई स्थिति से विभाजित है व पूर्वी तरफ रास्ता है व उक्त रास्ता भी उक्त भूमियों में से ही बना हुआ है। उक्त भूमियों को वादी व उसके पिता निरन्तर प्रतिवर्ष बिना किसी विघ्न व बाधा के काश्त करते आये है व पूर्वकाल से समस्त पक्षकारान् मौके पर मौजूद कब्जे व उसमें निहित रकबे इत्यादि को लेकर कोई असंतोष या विवाद नहीं रहा है क्योंकि 50 वर्ष पूर्व का विभाजन तत्समय मौजूद खातेदारान् के मध्य उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हर स्थिति के परिपेक्ष्य में सदा–सदा के लिए कर लिया गया था। 50 वर्ष पूर्व ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होने के कारण मौके पर कृषि भूमियों की पृथकता हो जाने से उस समय के सभी हिस्सेदार पूर्णरूपणे संतुष्ट थे व रिकार्ड आदि की स्थिति के बारे में ग्रामीण परिवेश होने के कारण अनभिज्ञता भी थी व आपस में परस्पर विश्वास होने के कारण उक्त विभाजन अनुसार रिकार्ड बनवा लिये जाने की सहमति भी बनी हुई थी। मौके की पृथकता अनुसार सभी का कब्जा काश्त चलता रहा। मौके के कब्जे अनुसार खसरा नम्बर 1292 व 1321 पर प्रतिवादीगण नम्बर 29 से 36 काबिज है व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 जो कि आपस में ताउ, भतीजे है। खसरा नम्बर 1301 पर काबिज है। प्रतिवादी नम्बर 3 खसरा नम्बर 1295 पर व प्रतिवादी नम्बर 4 खसरा नम्बर 1299 पर व प्रतिवादीगण नम्बर 5 व 6 खसरा नम्बर 1322 पर काबिज है व प्रतिवादी नम्बर 7 खसरा नम्बर 1300 पर व प्रतिवादी नम्बर 8 व 9 खसरा नम्बर 1291 पर व प्रतिवादीगण नम्बर 10 से 27 भूमि खसरा नम्बर 1298 पर काबिज है व प्रतिवादी नम्बर 28 खसरा नम्बर 1290 पर काबिज है। प्रतिवादीगण नम्बर 37 व 38 की मौके पर कोई जमीन नहीं है। मात्र कुआं खसरा नम्बर 1297 की जमाबन्दी में इनका नाम अंकित है। पक्षकारान् मौके पर उक्तानुसार काबिज है। पूर्वकाल में इसी अनुसार विधिक बंटवारा करके भी कोई विभाजित करवा लेने की सहमति [illegible] में रही व वैसे भी सभी पक्षकारान् व वादी पचास वर्ष पूर्व [illegible] को मान्यता देने पर काबिज काश्त चले आ रहे है व अपना व [illegible] उक्त वर्णित टुकड़ियों पर विधिक व अनन्य व एकल रूप से मानते रहे है। जिस अनु[illegible] वादी को व अन्य हिस्सेदारों को भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

30/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अपनी–अपनी टुकड़ियों को भी जो उनके कब्जे काश्त में है की खातेदारी पूर्व में हुए बाहमी बंटवारे अनुसार दर्ज करवाने का पूर्ण विधिक हक है। इस हेतु वादी ने लगभग 2 माह से समस्त प्रतिवादीगण को खातेदारी की स्थिति कब्जे अनुसार अलग–अलग दर्ज करा लेने हेतु कई कर्तबा कहा किन्तु प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 38 व इनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा ऐसा करवाने हेतु मात्र आश्वासन दिया जाकर समय व्यतीत किया जाता रहा है। वादी के हक व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1296 के वादी के उपयोग–उपभोग व आधिपत्य अधिकारी में मजाहमत की जाने की भी धमकियां दी जाने पर वाद कारण पैदा होने पर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी को अपने पिता के जमाने से चली आ रही भूमि खसरा नम्बर 1296 की खातेदारी विधिक विभाजन में स्वयं के नाम अनन्य रूप से दर्ज करवाने का हक बाहमी बंटवारे से है एंव वादी व उसके पिता ने उक्त भूमि को पिछले पचास वर्षो में अपना एकल हक रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से लगातार बिना किसी विघ्न के बईल्म काश्त किया है। इस कारण वादी के हक हको को प्रतिकूल कब्जे के अनुसार भी वादी को कब्जेयुक्त स्वत्व का सृजन विधिक प्रभाव से अर्जित हो चूका है। इस कारण भी वादी खसरा नम्बर 1296 की खातेदारी अन्य सभी खातेदारान् के नाम खातेदारी से हटवा कर अकेले के नाम दर्ज करवाने का वैध रूप से अधिकारी है। इसके परिणाम स्वरूप अन्य भूमियों की खातेदारी में से वादी का नाम हटाये जाने योग्य है।

वकील वादी ने वादी का दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि उक्त वर्णित भूमिया वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 38 के मध्य कानूनी बंटवारें की स्थिति मौके पर मौजूद पूर्वकाल से चले आ रहे विभाजन के अनुसार तय फरमाई जाकर भूमि खसरा नम्बर 1296 रकबा 1.34 हैक्टर तन् ग्राम होल्या का बास की तन्हा खातेदारी पूर्णरूपेण वादी के नाम किये जाने व शेष भूमियों में से अर्थात उक्त वर्णित अन्य भूमियों के रिकार्ड में से वादी का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जाने का निवेदन वकील वादीगण द्वारा किया गया हैं तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक व न्या[illegible]। इसलिए वादीगण को यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

इस पर वादी के वादपत्र को द[illegible] रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 8, 9, 29 लगायत 36

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

20/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

की ओर से श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एडवोकेट ने उपस्थित होकर वादी के पक्ष में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण नम्बर 1, 6, 10, 22, 25 से 28, 37 से 41 की सम्मन तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर पर प्रतिवादीगण संख्या 1, 6, 10, 22, 25 से 28, 37 से 41 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नम्बर 10 व 22 की ओर से श्री रघुनाथ सिंह शेखावत एड0 एंव प्रतिवादी संख्या 11 से 13 की ओर से श्री सुदेश सामोता एड0 ने वकालतनामे पेश किये एंव जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर चाहे गये। बावजूद अंतिम अवसरों के भी जवाब दावा पेश नहीं किये गये एंव ना ही पैरवी हेतु उपस्थित ही आये। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 10 से 13 व 22 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5, 7, 14 ता 21, 23, 24 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5, 7, 14 ता 21, 23, 24 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाहे गये। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 5681/भू.अ./19 दिनांक 21.11.2019 के द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई। इसके उपरान्त वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का पेश किया। जिस पर वकील वादी को सुना जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर नया संशोधित वादपत्र पेश किया गया। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में भू.अ.निरीक्षक जोरावरनगर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जिस पर भू.अ.निरीक्षक जोरावरनगर के पत्रांक 01/2021 दिनांक 15.12.2021 के द्वारा तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण में भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त जोरावरनगर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादी ने आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई।

हमनें वादी अभिभाषक [illegible] सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस [illegible] किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 38 के नाम खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसमें वादी के नाम खातेदारी में हिस्सा 1/16 व हिस्सा 1/32 की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमियों में से पक्षकारान् के मध्य करीब 50 वर्ष पूर्व हुए बाहमी बंटवारे में वादी अकेले के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 1296 रकबा 1.34 हैक्टर भूमि पर अपने मृत्तक पिता के समय से काबिज काश्त चला आना अपने वादपत्र में दर्ज किया है। जिस बाबत प्रतिवादीगण संख्या 8, 9, 29 लगायत 36 ने वादी द्वारा पेश वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादी के पक्ष में राजीनामा भी पेश कर दिया जाना प्रकट होता है। अन्य पक्षकारान् में से किसी भी पक्षकार ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया है। वादी ने वादग्रस्त आराजी भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 1296 रकबा 1.34 हैक्टर में अन्य सभी प्रतिवादीगण का नाम हटाकर अकेले के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने बाबत वादपत्र बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। जबकि वादी के नाम उक्त वादग्रस्त भूमियों की जमाबन्दी में दर्ज खातेदारी में हिस्से अनुसार कुल भूमि रकबा 1.1030 हैक्टर भूमि ही हक हिस्से में आना प्रमाणित होता है। जबकि वादी द्वारा कुल रकबा 1.34 हैक्टर भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा अपने वाद पत्र की इस्तदुआ में चाही गई है। जबकि वादपत्र इस्तकरार हक का पेश नहीं कर केवल मात्र तकास्मा का वादपत्र ही पेश किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों की जमाबन्दी का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त भूमियों के खातेदारान् में प्रतिवादी संख्या 29 ता 36 खातेदारान् की जाति "मीणा" राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है। जो कि अनुसूचित जन जाति की श्रेणी के अन्तर्गत आती है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के नाम दर्ज कृषि भूमियों का हस्तान्तरण दीगर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम किसी भी सूरत में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता एंव ना ही उनके विरूद्ध स्वर्ण जाति के व्यक्तियों के हित में खातेदारी अधिकारों की घोषणा ही की जा सकती है। वादी को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से से अधिक भूमि पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के हिस्से में से कम की जाकर उसके खातेदारी अधिकार किसी भी सूरत में प्रदत्त नहीं किये जा सकते। चाहे उक्त भूमि पर वादी का कई वर्षो से कब्जा ही क्यों ना चला आ

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

30/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रहा हो। किसी भी वादी को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हक हिस्से से अधिक हिस्से बाबत अनुतोष प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए वादी को दिया जाना सम्भव नहीं है। जहॉ तक प्रतिवादी संख्या 8, 9, 29 से 36 के द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर वादी को बंटवारा कानूनी रूप से कब्जे अनुसार नाप जोख कर दिये जाने व भूमि को एकल रूप से दर्ज करने बाबत कोई आपत्ति नहीं होना राजीनामा में अंकित किया है। वादी को अपने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से की भूमियों की खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1296 रकबा 1.3400 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम होल्या का बास तहसील श्रीमाधोपुर में वादी के नाम दर्ज हक हिस्सा में कानूनी रूप से आने वाली भूमि रकबा 1.1030 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। उक्त खसरा नम्बर 1296 का शेष हिस्सा राजस्व रिकार्ड में यथावत रखे जाने हेतु वादपत्र को बरूए राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को बरूए राजीनामा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1296 रकबा 1.3400 हैक्टर में से रकबा 1.1030 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम होल्या का बास तहसील श्रीमाधोपुर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त रक्बे से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाता है। उक्त रकबे का बट्टा नम्बर डालकर वादी के नाम खातेदारी अलग से दर्ज की जाकर अलग से लगान कायम किया जावें एंव उक्त खसरा नम्बर 1296 का शेष रकबा मुताबिक जमाबन्दी प्रतिवादीगण के नाम (वादी को छोड़कर) यथावत रखा जाता है। वादपत्र में वर्णित अन्य भूमि खसरा नं. 1295, 1298 से 1301, 1290, 1291,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested

30/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

1292, 1297, 1321 व 1322 तन् ग्राम होल्या का बास से वादी का नाम हजफ किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हक हिस्सा व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

30/05/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/05/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.07 12:31:25 IST
Reason: SelfAttested